Water Commission and their observations have been communicated to the State Government for establishing the techno-economic viability of the proposal. State Government is required co comply with the observations of the Central Water Commission.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास

2265. . **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावासों के निर्माण के लिये निर्धारित शिखर सीमा में मैदानी क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिये अलग-अलग शिखर सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) मैदानी क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्र के अभिनिर्धारण का क्या माणदंड अपनाया जाता है ; और

(ग) क्या पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में अपनायी जाने वाली निर्माण की शिखर सीमा को मध्य प्रदेश में भूगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों तथा दूरस्थ अंचलों के मामले में भी अपनाया जायेगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रश्न कि प्रस्तावित कोई छात्रावास पर्वतीय क्षेत्र में अथवा समतल क्षेत्र में अवस्थित है अन्य बातों के साथ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रमाणन के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

2266. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास भवन के निर्माण हेतु प्रति आवासीय छात्र की दर में निर्माण लागत की अधिकतम सीमा कितनी है ;

(ख) मध्य प्रदेश राज्य में इस समय छात्रावास भवनों की वास्तविक निर्माण लागत कितनी है ; और

(ग) क्या कल्याण मंत्रालय महंगाई परिवहन और भवन सामग्री की बढ़ती हुई कीमतों तथा मध्य प्रदेश के पिछड़े तथा दूरस्थ इलाकों में निर्माण कार्य में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये छात्रावास भवनों के निर्माण के संबंध में प्रति आवासीय छात्र की दर से निर्धारित निर्माण लागत की अधिकतम सीमा की समीक्षा करके उसे वास्तविक लागत के अनुरूप नियत करेगा ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के०वी० तंकाबालू) : (क) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों के होस्टलों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत प्रति संवासी निर्माण की सीमा दरें निम्नानुसार हैं:—

	प्रति संवासी सीमा लागत की दर (रुपये में)	
	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी क्षेत्र
केवल आवास वाले छात्रावासों के लिये	14,620	17,70
आवास तथा सहायक सुविधाओं वाले छात्रावासों के लिये	20,220	24,50